PMAY-G
MOST-URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27( )ग्राविवि/ग्रुप–5/अ.अ/आर.एच/2017–18 जयपुर, दिनांक 15 दिसम्बर, 2017

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण वर्ष 2016–17 से कियान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत राज्य को वर्ष 2016–17 से वर्ष 2018–19 हेतु 6.75 लाख के लक्ष्य आवंटित है, जिन्हें जिलेवार, वर्षवार आवंटित किया गया है।

वर्ष 2016–17 में स्वीकृत आवासों को माह नवम्बर, 2017 तक व वर्ष 2017–18 के लक्ष्यों को माह फरवरी, 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसकी अनुपालना में जिले द्वारा कार्यवाही की जा रही है। अधिकांश जिलों की प्रगति लक्ष्यानुसार नहीं है।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की समीक्षा में जिलों द्वारा योजना कियान्वयन में आ रही समस्याओं के कम में समय–समय पर अवगत कराया जाता है। उक्त के कम में राज्य से समस्याओं का निराकरण का प्रयास किया जाता है। फिर भी योजना के अधिकांश गतिविधियां आवाससॉफ्ट के माध्यम से सम्पादित होती है। जिनके सम्बन्ध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से ही समस्याओं का निदान सम्भव हो पाता है। हाल ही में दिनांक 11–12 दिसम्बर, 2017 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य के नोडल अधिकारियों, एमआईएस कार्मिकों एवं लेखा कार्मिकों की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसमें अधिकांश समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान करते हुए वर्ष 2018–19 की स्वीकृतियां हेतु इसी वर्ष 2017–18 में ही GEO tagging एवं पंजीकरण प्रारम्भ कराने के संबंध में अवगत कराया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11–12 दिसम्बर, 2017 की बैठक में दिये गये मुख्य निर्देश/समस्याओं का निराकरण एवं की जाने वाली कार्यवाही निम्नानुसार है :–

अ) Major Police Decisions in PMAY-G (Annexure-V)

कम संख्या	मुद्दा	ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अवगत कराया गया निर्णय/क्लेरिफिकेशन	जिले द्वारा की जाने वाली कार्यवाही
1	वरीयता सूची में शामिल भूमिहीन लाभार्थियों को स्वीकृति से अस्थाई रूप से स्कीप कर अगले लाभार्थी को स्वीकृति जारी करना।	प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के कियान्वयन फ्रेमवर्क के अनुच्छेद 5.2.2 के अनुसार वरीयता सूची में शामिल को स्कीप नहीं किया जा सकता।	अनिवार्य रूप से नियमानुसार भू–खण्ड आवंटन करवाकर स्वीकृति जारी की जावें।
2	लाभार्थी का अस्थाई रूप से माईग्रेशन स्थाई माईग्रेशन अ) ग्राम सभा के सत्यापन से पूर्व ब) ग्राम सभा के सत्यापन उपरान्त स) लाभार्थी की मृत्यु उपरान्त कोई परिवार में सदस्य नहीं।	लाभार्थी के परिवार के रूप में SECC-2011 की सूची में प्रदर्शित अन्य परिवार के सदस्य के नाम से स्वीकृति जारी की जा सकती है। अन्यथा की स्थिति में PWL के अगले लाभार्थी को वार्षिक लक्ष्यों के बराबर स्वीकृति जारी की जा सकती है। अ) ग्राम सभा लाभार्थी का नाम स्थाई माईग्रेशन कारण दर्ज करते हुए नाम वरीयता सूची से हटा सकती है। ब) आवाससॉफ्ट पर उपलब्ध प्रावधान remand modual का उपयोग करते हुए नाम हटाये। स) उपरोक्त 'ब' के अनुसार।	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही करावें

	द) लाभार्थी की मृत्यु उपरान्त परिवार में विधिक वारिस जो कि नाबालिक।	द) विकास अधिकारी, पालक/अभिभावक व नाबालिक के नाम संयुक्त खाते में राशि हस्तान्तरित करते हुए विकास अधिकारी को आवास पूर्ण कराने हेतु जिम्मेदारी सौपी जावें।	
3	PWL में शामिल लाभार्थी के परिवार के सदस्यों की सूची में अ) लाभार्थी के परिवार के सदस्यों के नाम प्रदर्शित नहीं होना । ब) नाम मैच नहीं करना। उक्त के सम्बन्ध में संशय की परिस्थिति में।	ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस क्रम में मॉडूल्य विकसित किया जा रहा है। उक्त प्रकरणों में राजस्व विभाग के अधिकारी जैसे पटवारी, सरपंच व पंचायत समिति के अधिकारी की संयुक्त टीम से प्रकरण की जॉच करवाकर प्रमाण के रूप में महात्मा गांधी नरेगा जॉब कार्ड की प्रति जिसमें परिवार के सदस्यों का नाम हो आवाससॉफ्ट अपलोड किया जाना होगा और ऐसे प्रकरणों में जिनमें लाभार्थी स्वयं जीवित हो, उसके स्वयं के द्वारा सत्यापन की प्रति भी अपलोड की जानी है।	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही करावें
4	सामान्य या अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थी जिनका नाम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में प्रदर्शित हो रहा हो या इससे विपरित की परिस्थिति में स्वीकृति	वर्तमान में SECC-2011 की में परिवर्तन का प्रावधान नहीं है, परन्तु लाभार्थी को जहां व प्रदर्शित हो रहा है। उस वर्ग में लाभान्वित किया जा सकता है।	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही करावें
5	स्वीकृति उपरान्त स्वीकृति को डिलिट करना।	मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गये रिमाण्ड मॉडूल्य का उपयोग निम्नानुसार परिस्थितियों में किया जा सकता है :– 1. PWL में शामिल स्वीकृति नहीं। 2. PWL में शामिल स्वीकृति जारी। 3. PWL में शामिल स्वीकृति जारी उपरान्त राशि हस्तान्तरण लाभार्थी की मृत्यु उपरान्त विधिक वासिर नहीं होने की दशा में।	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही करावें
6	ग्राम/ग्राम पंचायत में स्वीकृति होने के उपरान्त रिमैपिंग	गलत स्वीकृतियां जारी को निरस्त करने के उपरान्त ग्राम सभा से सत्यापित के सत्यापन कराया जावे, क्योंकि ऐसा नहीं करने के स्थान पर राज्य से रिमैपिंग करने पर वरीयता परिवर्तित हो जाती है।	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही करावें
7	आवास सॉफ्ट पर ग्राम पंचायत/ग्राम की रिमैपिंग– अ) कोई किश्त हस्तानान्तरित नहीं की गई हो। ब) कोई किश्त हस्तानान्तरित कर दी गई हो।	इस परिस्थिति में रिमैपिंग की जाती है, केवल ग्राम सभा का सत्यापन आवश्यक है। उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए पूर्व में स्वीकृत लाभार्थियों की वरीयता से नीचे वरीयता बना दी जावे।	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही करावें
8	कच्चा आवास की परिभाषा	प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के कियान्वयन फ्रेमवर्क के अध्याय–4 में वर्णित परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।	–
9	गलती से हटाये गये लाभार्थियों का नाम सूची में जोडना	अब कोई प्रावधान नहीं है क्योकि अपील के माध्यम से जोड़ने के प्रावधान अनुसार नाम जोड़कर अंतिम वरीयता सूची प्रकाशित/जारी की जाती है।	–

10	एक ही नाम के दो व्यक्ति होने पर एक–दूसरे की फोटो जीओ टैग होने के क्रम में	आवाससॉफ्ट पर रिकैप्चर का प्रावधान उपलब्ध है।	प्रावधान अनुसार कार्यवाही करावे।
11	किसी लाभार्थी को एक ग्राम से अन्य ग्राम में हस्तानान्तरित किये जाने का प्रावधान	राज्य द्वारा विस्तृत प्रस्ताव में मय कारणों के द्वारा प्रेषित किये जावे। राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों की सूची जिनकी रिमैपिंग की जानी है, उपलब्ध करायी जावे। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रिमैपिंग का प्रावधान किया जावेगा, जिसके अंतर्गत ग्राम सभा सत्यापन व अपील कमेटी द्वारा अपील सुनने के प्रावधान उपरान्त नयी वरीयता सूची तैयार की जावेगी।	
12	मेशन प्रशिक्षण हेतु चयनित लाभार्थी को एक मुश्त अनुदान की राशि जारी किये जाने का प्रावधान	लाभार्थी द्वारा एक मुश्त सामग्री क्रय की सुनिश्चिता हेतु एक मुश्त राशि हस्तानान्तरित किये जाने का प्रावधान किया जावेगा।	जिले अपने जिले में लाभार्थियों का चयन कर प्रस्ताव प्रेषित करे।

(ब) अन्य –

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आईईसी के अंतर्गत एचडी फोटोग्राफ, सफलता की कहानियां, अभिनव नवाचार, प्रशिक्षण आवास दिवस व योजना से संबंधित कार्यक्रमों की वीडियो व राज्य/जिलों द्वारा प्रकाशित बुकलेट, मैन्यूवल व टाईपोलॉजी आदि, को मासिक आधार पर सॉफ्ट कॉपी में भिजवाया जावे एवं आवाससॉफ्ट पर प्रावधान होने पर सीधे ही अपलोड कर दी जावे।
2. गुणवत्तापूर्ण आवास निर्माण सुनिश्चित करने हेतु जीओ टैगिंग का प्रावधान है, जिसकी सुनिश्चिता हेतु आवास स्वीकृति पूर्व नींव/प्लिंथ व लिंटल स्तर पर जानकारियां कैप्चर की जानी है। यह प्रावधान आवास ऐप में किया जा रहा है।
3. ग्रामीण मेशन प्रशिक्षण – प्रत्येक जिले द्वारा ग्रामीण मेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाना है, जिस हेतु लाभार्थियों (Semi Skilled Worker) व प्रशिक्षण के दौरान बनाये जाने वाले आवास के लाभार्थियों का चयन सुनिश्चित किया जावे।
4. आवास डिजाईन टाईपोलॉजी – आईआईटी नई दिल्ली के सहयोग से विकसित आवास डिजाईन टाईपोलॉजी जो जिले से संबंधित है, के डिमोस्ट्रेशन आवास निर्माण करवाये जावे। उल्लेख है कि पूर्व में इस हेतु राशि भी हस्तानान्तरण की गई है। इस हेतु बीएसआर में कोई संशोधन/नया आईटम जोड़ा जाना हो, तो भी इस बाबत् प्रस्ताव भिजवाये।

(स) प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण से पूर्व में स्वीकृत अन्य आवास योजनाओं के आवासों को 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण करने हेतु अंतिम दिनांक मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई है, इसके उपरान्त किसी तरह का वित्तीय दायित्व रहने पर संबंधित जिला स्वयं उत्तरदायी होगा (ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 31 मार्च, 2018 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है)। ऐसे आवास जिनकी राशि वसूल कर ली गई हो या निरस्त कर दिये गये हो, का इन्द्राज आवास सॉफ्ट पर उपलब्ध मॉड्यूल्स के अनुसार सुनिश्चित करवाया जावे।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण से पूर्व जिलों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र से सीधे ही राशि हस्तानान्तरित की गई, के यूसी/सीसी के अंतिम प्रस्ताव भी भिजवाये जावे।

कृपया उक्तानुसार जिले में कार्यवाही संपादित कराते हुए आपके जिले में योजना का सफल/उत्कृष्ट कियान्वयन करवाये, जिससे प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री आवार्ड से जिले को आपको सम्मानित किये जाने हेतु चयन हो सके। इस बाबत् अपना ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन भी सुनिश्चित करावे।

14.12.2017

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
4. निजी सचिव, संयुक्त सचिव(ग्राआ), ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, महात्मा गांधी नरेगा।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त, राजस्थान।
8. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

14/11

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)